

153/2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 597075

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

विजयमल चन्द्रमणि, सुनीना देवी द्वारा ट्रस्ट की स्थापना कर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत।

ट्रस्ट का नाम - तापेस्वर, धर्मेश्वर, प्रसाद समाज सेवा ट्रस्ट (न्यास)

पता - मोलनापुर (मिश्रौली)

पोस्ट - मोलनापुर (दुबारी)

तहसील - मधुवन

जिला - मऊ (30PR) - 221601



मुख्यालय- पंजीकरण कार्यालय तापेस्वर धर्मेश्वर, प्रसाद समाज सेवा ट्रस्ट (न्यास) मोलनापुर, तहसील मधुवन जिला-मऊ (30PR) आवश्यकतानुसार उपरोक्त मुख्यालय को अन्य उचित जगह सामयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य -

- (1) ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थान पर शिक्षण संस्थाएँ यानी प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय व चिकित्सा शिक्षा संस्थान आदि की स्थापना कर ग्रामीण अंचल के मध्यम व कमजोर वर्ग के सश्व-सश्व दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया करना है। पौढ़ शिक्षण, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व विभिन्न खेलों का देश-प्रदेश के कोने-कोने में प्रकाश फैले, इसके लिए हर सम्भव उपाय करना/स्थापना करना ट्रस्ट का लक्ष्य है।
- (2) प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, टाइप शार्ट हैण्ड शिक्षा, प्रतियोगिता शिक्षा, निशुल्क दिलाने की व्यवस्था करना।
- (3) समाज के मूक-वाधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं-वृद्धों तथा निराश्रितों, बेरोजगारों अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के उत्थान एवं कल्याण हेतु कार्य करना।
- (4) महिलाओं और पुरुषों की व्यूटीशियन से सम्बन्धित जानकारी देना तथा स्वास्थ्य रक्षा हेतु निशुल्क शारीरिक शिक्षा एवं योग शिक्षा आदि का प्रशिक्षण दिलाने के व्यवस्था करना।

(Signature)

(Signature)

सुनीना देवी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 597076

- (4) महिलाओं और पुरुषों की व्यूटीशियन से सम्बन्धित जानकारी देना तथा स्वास्थ्य खातों हेतु नि:शुल्क शारीरिक शिक्षा एवं योग शिक्षा आदि का प्रशिक्षण दिलाने के व्यवस्था करना।
- (5) खादी एक ग्रामोद्योग बोर्ड उ० प्र०, अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग/जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योग की स्थापना/संचालन व प्रचार-प्रसार करना।
- (6) समाज कल्याण विभाग उ० प्र० केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सजाहकार बॉर्ड कपार्ट, अवार्ड, सिडयी, मानव, संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसैफ, इनाकारा, सिफसा, सैफ इण्डिया, हेल्थेज इण्डिया, राजीव फाउन्डेशन, नीराड, आक्सकैम इण्डिया, केन्द्रीय महिला, कोष विश्व बैंक, सूडा, लूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ० प्र० एवं विकलांग कल्याण निदेशालय, उ० प्र०/केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं संचालन करना।
- (7) हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रचार-प्रसार करना तथा साहित्यिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक, कलात्मक तकनीकी शिक्षा के माध्यम से बालक/बालिकाओं को आदर्श नागरिक बनाना।
- (8) पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्त, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, वृक्षारोपण, सामाजिक बचनीकी, कृषि उल्लूखन, दहेज उल्लूखन, हरियाली कार्यक्रम, प्रदूषण नियन्त्रण, ऊसर-बंजर भूमि सुधार, बागवानी विकास वैकल्पिक ऊर्जा विकास, पशु-पक्षी (जीव-जन्तु) संरक्षण, गौ संरक्षण, फल प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण, भूमि एवं जल प्रबन्धन मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, दुग्ध विकास आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।
- (9) महिलाओं/बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई बुनाई, शिल्प कला, संगीत, नृत्य, व्यूटीशियन फैशन डिजाइनिंग, चिक जरा, डाल मैकिंग पलावर मैकिंग, फल प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण आदि का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 597077

- (10) जनहितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, अनाथालय, मूक-बाधिर विद्यालय, विकलांग विद्यालय, आवासीय विद्यालय, ब्लाइन्ड स्कूल, छात्रावास, व्यायामशाला, गौशाला, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम, पालन गृह, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी आदि की स्थापना व संचालन करना।
- (11) एड्स, कैंसर, टी0वी0, हेपेटाइटिस, मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना।
- (12) दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्नि, काण्ड, भूकम्प, ओला, वृष्टि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना।
- (13) कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यन्त्रों, उर्वरक, बीज, सिंचाई, के साधन तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारी कृषकों को दिलाना जिससे कृषि उपज को बढ़ावा मिल सके।
- (14) राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा संचालित महिला विकास कार्यक्रम को संचालित करना तथा लोगों में बचत की भावना जागृत करना।
- (15) नई युवा प्रतिभाओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाना।
- (16) ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के शिशु टीकाकरण एवं अन्य टीकाकरण हेतु कार्य प्राप्त करना कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफल बनाने तथा एड्स निवारण व कैंसर नियन्त्रण हेतु प्रचार-प्रसार करना तथा विभिन्न स्थानों पर परामर्श केन्द्र स्थापित करना तथा मातृ-शिशु कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना।

विष्णु चन्द्र

सुनीता देवी

सुनीता देवी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 597078

- (17) सामुदायिक स्वास्थ्य सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार के प्रति लोगों में जागृति पैदा करना तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रमों को प्रचार-प्रसार करना।
- (18) भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, वेन्डू द्वारा संचालित जीव जन्तु एवं गोशुद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार व संचालन करना एवं गोशालाओं की स्थापना व संचालन करना।
- (19) विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं टेक्नोलॉजी का प्रचार-प्रसार करना तथा इससे सम्बन्धित कार्य करना।
- (20) विधवाओं एवं निराश्रित लोगों के सहायताार्थ चैरटी कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- (21) विकलांगता अन्वेषण, घोषण एवं कब रोग को दूर करने हेतु निःशुल्क कार्य करना तथा जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में निःशुल्क जगह-जगह निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना कर चिकित्सीय सेवा एवं निःशुल्क दवा उपलब्ध कराना।
- (22) शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु गामीण क्षेत्र में बाल कल्याण केन्द्र महिला कल्याण केन्द्र, शिशु कल्याण केन्द्र, अनाथालय, बालिका विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, उर्दू मदरसा महिला शिल्प, कला केन्द्र आदि की स्थापना व संचालन करना।
- (23) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये गये उन कार्यक्रमों को पूर्ण करने में सरकार की मदद करना। जिससे समाज का उत्थान हो। चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र जैसे शिक्षा-स्वास्थ्य पर्यावरण आदि।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता-

तपेश्वर, धर्मेश्वर प्रसाद समाज सेवा ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत निरूपित किया जा रहा है। इस न्याय पर भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के

Dr. P. P. Singh

[Signature]

सुनेता देवी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 597079

तधारण/नियम/उपनियम लागू होंगे। जो इस न्यास के हेतु आवश्यक है। जो न्यायिक विधा में व्यवहृत व मान्य है। इस न्यास उक्त नियमों/उपनियमों के अनुपालन में प्रतिबद्ध है।

ट्रस्ट का स्वरूप

क्र.सं.	नाम	पता	पद	पेशा
1	विजयमल यादव पुत्र स्व. धर्मेश्वर यादव	ग्राम-मोलनापुर तहसील-मधुवन जनपद-मऊ	मुख्यसंरक्षक ट्रस्टी	समाज सेवा
2	चन्दमणि यादव पुत्र श्री विजयमल यादव	ग्राम-मोलनापुर तहसील-मधुवन जनपद-मऊ	महासचिव	समाज सेवा
3	श्रीमती सुनेना देवी पति श्री विजयमल यादव	ग्राम-मोलनापुर तहसील-मधुवन जनपद-मऊ	संस्थापक ट्रस्टी	समाज सेविका

पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:

- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी - 1- संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा विजयमल यादव पुत्र जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।
 स्व. धर्मेश्वर यादव 2- संरक्षक द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्योहित में लिये जाने वाले निर्णय सर्व मान्य होंगे।
 3- संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
 4- किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।

विजयमल यादव

सुनेना देवी

सुनेना देवी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 597080

- 5- आवश्यक कालजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यन्वित करना।
 - 6- ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
 - 7- ट्रस्ट (न्यास) बाह्य एवं अन्तर्गत नीतियों का निर्धारण एवं ट्रस्ट (न्यास)के विकास के लिखे तमाम संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना, मुख्य संरक्षक ट्रस्टी कर्तव्य होगा।
 - 8- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी संस्थाओं के लिये भूमि भवन का कय-विकय लीज (पट्टा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।
 - 9- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने निष्कासन करने एवं पदोन्नत जादि का पूर्ण अधिकार सचिव संस्थापक ट्रस्टी को होगा।
 - 10- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजना प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त प्रकार के कार्यों का संपादन करना।
- महासचिव संस्थापक ट्रस्टी- 1- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके कार्य का संपादन चन्द्रमणि यादव पुत्र श्री विजयमल यादव
- 2- बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
 - 3- ट्रस्ट (न्यास) की उन्नति के लिए निर्देश देना।
 - 4- नये सदस्यों के लिए रसीद जारी करना।
 - 5- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होंगे।
 - 6- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने के लिये

चन्द्रमणि यादव पुत्र
श्री विजयमल यादव

सचिव

सुमेला देवी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 597082

- संस्थाक संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक दोगो के सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।
- सदस्य ट्रस्टी : साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठक में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्यहित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थ रहित भाव से सहयोग प्रदान करना।
- ट्रस्ट (न्यास) के अंग : ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।
(1)– साधारण सभा (2)– प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट
- साधारण सभा गठन : साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।
- बैठकें : 1– सामान्य बैठकें ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार मार्च माह में होंगी।
2– विशेष बैठक आग्रशक्ता पड़ने पर दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर साधारण सभा बुलाई जा सकती है।
- सूचना अवधि : साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।
- गणपूर्ति : बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थित होना आवश्यक है। यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या 1/3 होगी।
- विशेष वार्षिक अधिवेशन– साधारण सभा विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।
- ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य – साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखितान कर्तव्य होंगे।
अ– वार्षिक आय– व्यय भेक करना।
ब– ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट

निम्नलिखित

समी

सुनेना देवी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 597084

- निश्चित करना।
- स- प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के समिति के अधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।
- द- ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिये समय-समय पर उनके कार्य को करना जो समिति के हित में हो।
- ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति :
 - गठन : साधारण राना के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें एक संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी एक महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एवं सदस्य ट्रस्टी नार होंगे।
 - बैठके : सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी
 - सामान्य : सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी
 - विशेष : ट्रस्टी के मुख्य संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलाएगा। विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति को महासचिव बुलाएगा।
 - सूचना अवधि : साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति को महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति को महासचिव संस्थापक ट्रस्टी 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना वस्ती, जण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।
 - गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।
 - रिक्त स्थानों की पूर्ति : यदि कोई सदस्य कार्यालय के अस्वाभाविक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर ट्रस्ट (न्यास) से निष्काशित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों में से सदस्य मनोनित कर सकता है।

10/11/2020

[Handwritten Signature]

सुनेन्द्रा देवी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 597083

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य : प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्ध करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
4. आय-व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-

समय - समय परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) नियमावली में संशोधन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22. ट्रस्ट (न्यास) के कोष—

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्य के पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी। जो किसी राष्ट्रकृति बैंक/डालघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक संस्थापक ट्रस्टी महासचिव संस्थापक ट्रस्टी संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

23. ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण—

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व—

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा। जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्ति कर सकते हैं।

25. (न्यास) के अभिलेख—

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे सस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक आदि कोषाध्यक्ष संस्थागत ट्रस्टी के पास होंगे।

18/11/2024

उन्मैता देवी


रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा -९० के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- विजयपाल शर्मा

बायें हाथ

के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- विजयपाल शर्मा

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर


रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 50 के अनुपालन हेतु

फिगरर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- सुनेत्रा देवी

बायें हाथ

के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- सुनेत्रा देवी

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

क्र. सं. - 9-2-11
 काम कर करने का प्रयोग -
 काम के का नाम व पुराता -
 दिनांक 31 मार्च 2011

डॉ. वरुण
 डॉक्टर वादव स्टैम्प विच्छेद
 No. 80/BIC नं. - वरुण (वर्ण)



माघ दिनांक 9-2-2011
 पुस्तक संख्या 12 19-142
 पर कम सं. 153 पर राजस्व किया गया।
 उ० नि०)

